संख्या - 36028/17/2001 - स्थापना (आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी, 2005

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- पदोन्नति में आरक्षण - अपनी योग्यता पर ही पदोन्नत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का समायोजन ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 11 जुलाई, 2002 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36028/17/2001-स्थापना (आरक्षण) का हवाला देने का निदेश हुआ है । इस कार्यालय ज्ञापन द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि अपनी योग्यता पर न कि आरक्षण अथवा अर्हताओं में ढील दिए जाने से पदोन्नति द्वारा नियुक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अनारक्षित बिंदुओं पर समायोजित किया जाए । निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्टीकरण माँगने के लिए संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं:-

(i) दिनांक 11.07.2002 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36028/17/2001-स्थापना (आरक्षण) के लागू होने की तारीख़; तथा

(ii) क्या ग़ैर-चयन पद्धति द्वारा पदोन्नतियों के मामले में ये आदेश लागू होंगे ।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 11.07.2002 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36028/17/2001-स्थापना(आरक्षण), इसके जारी होने की तारीख़ अर्थात् 11.07.2002 से प्रभावी होगा । तथापि, ऐसे मामलों पर जिनमें कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 11.07.2002 से पहले अपनी योग्यता पर पदोन्नत हुए हैं और अनारक्षित बिंदुओं पर समायोजित क़िए गए हैं, पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चूँकि ग़ैर-चयन द्वारा पदोन्नतियों के मामले में, पदोन्नतियाँ वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर की जाती हैं तथा ऐसी पदोन्नतियों में योग्यता की अवधारणा शामिल नहीं है अतः दिनांक 11.07.2002 का कार्यालय ज्ञापन ग़ैर-चयन पद्धति द्वारा की गई पदोन्नतियों पर लागू नहीं होता है ।

4. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी में ला दी जाए ।

(के. जी. वर्मा)

भारत सरकार के उप सचिव

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. लोक उद्यम विभाग, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
5. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), रेल भवन, नई दिल्ली ।
6. संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली/भारत का उच्चतम न्यायालय/ भारत, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, नई दिल्ली/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली/केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली/राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली/प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली/योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली/राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-I, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।

*****

No.36028/17/2001-Estt.(Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

New Delhi, dated the 31st January, 2005.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Reservation in promotion – Treatment of SC/ST candidates promoted on their own merit.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M.No.36028/17/2001-Estt.(Res.), dated 11th July, 2002 whereby it was clarified that the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates appointed by promotion on their own merit and not owing to reservation or relaxation of qualifications will be adjusted against unreserved points. References have been received seeking clarification on the following points:

(i) The date of effect of the O.M. No.36028/17/2001-Estt.(Res.), dated 11.7.2002; and

(ii) Whether the orders will apply in case of promotions made by non-selection method.

2. It is clarified that the O.M. No.36028/17/2001-Estt.(Res.), dated 11.7.2002 takes effect from the date of its issue i.e. with effect from 11.7.2002. However, the cases where SC/ST candidates promoted on their own merit before 11.7.2002 have been adjusted against unreserved points need not be re-opened.

3. It is also clarified that since in the case of promotions by non-selection, promotions are made on the basis of seniority-cum-fitness and the concept of merit is not involved in such promotions, the O.M. dated 11.7.2002 does not apply to the promotions made by non-selection method.

4. Contents of this O.M. may be brought to the notice of all concerned.

(K.G. Verma)
Deputy Secretary to the Govt. of India

1. All Ministries/Departments of Govt. of India.
2. Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi.
3. Department of Economic Affairs (Insurance Division), New Delhi.
4. Department of Public Enterprises, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
5. M/o Railways (Railway Board), Rail Bhawan, New Delhi.
6. Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi/Supreme Court of India/Election Commission of India, Nirvachan Sadan, New Delhi/Lok Sabha Secretariat, New Delhi/Rajya Sabha Secretariat, New Delhi/Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi/Central Vigilance Commission, New Delhi/President Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi/Prime Minister's Office, South Block, New Delhi/Planning Commission, Yojana Bhawan, New Delhi/National Commission for Scheduled Castes; Lok Nayak Bhawan, New Delhi/National Commission for Scheduled Tribes, Lok Nayak Bhawan, New Delhi/National Commission for Backward Classes, Trikoot-I, Bhikaji Cama Place, New Delhi,
7. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi.
8. Comptroller and Auditor General of India, 10, Bahadurshah Zaffar Marg, New Delhi.

संख्या 36028/17/2001 - स्थापना (आरक्षण)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

दिनांक जुलाई 11, 2002

कार्यालय - ज्ञापन

विषयः अपनी ही योग्यता पर पदोन्नत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से बरताव ।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 02.07.1997 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्थापना(आरक्षण) द्वारा आरंभ किए गए आरक्षण-रोस्टरों में अपनी ही योग्यता पर पदोन्नत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के समायोजन के बारे में इस विभाग को विभिन्न मंत्रालयों इत्यादि से संदर्भ मिलते आ रहे हैं । जबकि दिनांक 02.07.1997 के उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापन से यह स्पष्ट है कि सीधी भर्ती से, अपनी ही योग्यता पर, न कि आरक्षण से, नियुक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार, उपर्युक्त आरक्षण-रोस्टरों में अनारक्षित बिंदुओं पर समायोजित किए जाने हैं, अपनी ही योग्यता पर पदोन्नत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के बारे में शंकाएँ की गई हैं । एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि:-

(i) अपनी ही योग्यता पर, न कि आरक्षण से अथवा अर्हताओं में ढील दिए जाने से, पदोन्नति द्वारा नियुक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार आरक्षण-रोस्टर के आरक्षित बिंदुओं पर समायोजित नहीं किए जाएँ । उन्हें उपर्युक्त रोस्टर के अनारक्षित बिंदुओं पर समयोजित किया जाए ।

(ii) यदि किसी संवर्ग में कोई अनारक्षित रिक्ति हो और पदोन्नति की दृष्टि से संभरक ग्रेड में सामान्य विचारण-क्षेत्र के अंतर्गत कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार आ रहा हो तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे उम्मीदवार को महज़ इस दलील पर पदोन्नत करने से इनकार नहीं किया जा सकता कि उपर्युक्त रिक्ति पद आरक्षित नहीं है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार मान कर उसे, अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ-साथ पदोन्नत करने पर विचार

.....2/-

किया जाए । यदि वह चुन लिया जाए तो उसे उपर्युक्त रिक्त पद पर नियुक्त कर जाए और उसे उपर्युक्त आरक्षण-रोस्टर के अनारक्षित बिंदु पर समायोजित कर दि जाए ।

(iii) सीधी भर्ती या पदोन्नति से अपनी ही योग्यता पर नियुक्त और आरक्षण-रोस्टर के अनारक्षित बिंदुओं पर समायोजित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार, अपने किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होने की स्थिति क़ायम रखेंगे और वे भविष्य में आरक्षण का लाभ/आगे कोई और पदोन्नति प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

(iv) अधिकतम 50% तक के आरक्षण की सीमा, आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवारों का शुमार नहीं करके परिकलित की जाएगी जो अपनी ही योग्यता पर नियुक्त/पदोन्नत हुए हों ।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों से इस कार्यालय-ज्ञापन की विषय-वस्तु, जानकारी और अनुपालन हेतु अपने सभी अधीनस्थ प्राधिकारियों के ध्यान में ला देने का अनुरोध है ।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
भारत-सरकार के उप सचिव

सेवा में,

1. भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ।
3. आर्थिक कार्य-विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. आर्थिक कार्य-विभाग (बीमा-प्रभाग), नई दिल्ली ।
5. लोक-उद्यम-विभाग, नई दिल्ली ।
6. रेल-मंत्रालय (रेल-बोर्ड) ।
7. संघ-लोक-सेवा-आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन-आयोग/लोक-सभा-सचिवालय/राज्य-सभा-सचिवालय/ मंत्रिमंडल-सचिवालय/ केन्द्रीय सतर्कता-आयोग/राष्ट्रपति-सचिवालय/ प्रधानमंत्री-कार्यालय/योजना-आयोग ।
8. कर्मचारी-चयन-आयोग, केन्द्रीय सरकार-कार्यालय-परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
9. सामाजिक न्याय और अधिकारिता-मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
10. सचिव, कर्मचारी-पक्ष, राष्ट्रीय परिषद्, नई दिल्ली ।
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
12. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग-आयोग, त्रिकूट-I, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली ।

No.36028/17/2001-Estt.(Res.)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING
NEW DELHI

Dated: July 11, 2002

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Reservation in promotion – Treatment of SC/ST candidates promoted on their own merit.

...

The undersigned is directed to say that this Department has been receiving references from various Ministries etc. regarding adjustment of SC/ST candidates promoted on their own merit in the reservation rosters introduced vide DOPT's OM No.36012/2/96-Estt.(Res) dated 2.7.1997. While it is clear from the OM dated 2.7.1997 that the SC/ST/OBC candidates appointed by direct recruitment on their own merit and not owing to reservation will be adjusted against unreserved points of the reservation roster, doubts have been raised about SC/ST candidates promoted on their own merit. It is hereby clarified that:-

(i) The SC/ST candidates appointed by promotion on their own merit and not owing to reservation or relaxation of qualifications will not be adjusted against the reserved points of the reservation roster. They will be adjusted against unreserved points.

(ii) If an unreserved vacancy arises in a cadre and there is any SC/ST candidate within the normal zone of consideration in the feeder grade, such SC/ST candidate cannot be denied promotion on the plea that the post is not reserved. Such a candidate will be considered for promotion alongwith other candidates treating him as if he belongs to general category. In case he is selected, he wil be appointed to the post and will be adjusted against th unreserved point.

(iii) SC/ST candidates appointed on their own merit (by direc recruitment or promotion) and adjusted against unreserved point will retain their status of SC/ST and will be eligible to get benef of reservation in future/further promotions, if any.

(iv) 50% limit on reservation will be computed by excluding such reserved category candidates who are appointed/promoted on their own merit.

3. All Ministries/Departments are requested to bring the contents of this OM to the notice of all authorities under them for information and compliance.

(K.G. Verma)
Dy. Secretary to the Govt. of India

To

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. Comptroller and Auditor General of India
3. Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi
4. Department of Economic Affairs (Insurance Division), New Delhi
5. Department of Public Enterprises, New Delhi
6. Ministry of Railways (Railway Board)
7. Union Public Service Commission/Supreme Court of India / Election Commission/ Lok Sabha Secretariat / Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/President's Secretariat/ Prime Minister's Office/Planning Commission.
8. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi.
9. Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhavan, New Delhi.
10. Secretary, Staff Side, National Council, New Delhi
11. National Commission for SCs & STs, Lok Nayak Bhawan, New Delhi
12. National Commission for Backward Classes, Trikoot-I, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi.